

दूरभाष:-24361852
24366794
24368158

संख्या - 6/1/2015-हिंशियो.(मु)/ 2830

भारत सरकार

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय

हिंदी शिक्षण योजना (मुख्यालय)

Government of India

Department of Official Language, Ministry of Home Affairs

Hindi Teaching Scheme (HQ)

7वां तल, पर्यावरण भवन,

सी जी ओ कंप्लेक्स, लोदी रोड,

नई दिल्ली - 110003

7th Floor, Paryavaran Bhavan,

CGO Complex, Lodi Road,

New Delhi-110003

दिनांक/Dated :

सेवा में

उप निदेशक

(मध्योत्तर/दक्षिण/पूर्व/पश्चिम/पूर्वोत्तर)

हिंदी शिक्षण योजना,

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,

नई दिल्ली/चेन्नै/कोलकाता/मुंबई/गुवाहाटी।

28 OCT 2015

विषय :- हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत संचालित हिंदी भाषा, हिंदी टंकण तथा हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए वर्ष 2016-17 हेतु लक्ष्य निर्धारण।

महोदय,

हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत संचालित हिंदी भाषा (प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ एवं पारंगत) तथा हिंदी टंकण/आशुलिपि के प्रत्येक वित्तीय वर्ष में दो सत्र होते हैं। वर्ष 2016-17 में हिंदी भाषा प्रशिक्षण का प्रथम सत्र - जुलाई, 2016 से तथा हिंदी टंकण आशुलिपि का प्रथम सत्र- अगस्त, 2016 से प्रारंभ होगा। हिंदी भाषा प्रशिक्षण का दूसरा सत्र जनवरी, 2017 से तथा हिंदी टंकण/आशुलिपि का दूसरा सत्र - फरवरी, 2017 से प्रारंभ होगा।

2 वर्ष 2016-17 के लिए हिंदी भाषा, हिंदी टंकण, हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण के लिए क्षेत्रवार लक्ष्य निम्नानुसार निर्धारित किए गए हैं :-

क्षेत्र	निर्धारित लक्ष्य								
	हिंदी भाषा			हिंदी टंकण			हिंदी आशुलिपि		
	पूर्णका.केंद्र	अंशका. केंद्र	योग	पूर्णका.केंद्र	अंशका. केंद्र	योग	पूर्णका.केंद्र	अंशका. केंद्र	योग
मध्योत्तर	2340	---	2340	1170	160	1330	540	----	540
दक्षिण	11960	---	11960	780	--	780	360	----	360
पूर्व	7540	80	7620	260	120	380	120	----	120
पश्चिम	5980	---	5980	390	160	550	180	----	180
पूर्वोत्तर	1560	40	1600	130	40	170	60	----	60
योग	29380	120	29500	2730	480	3210	1260	----	1260

इसके अतिरिक्त गत सत्रों के निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्धियों की समीक्षा में यह देखा गया था कि केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान / उप संस्थानों के कुछ प्रशिक्षण केंद्रों पर गहन हिंदी कक्षाओं में नामांकन/दाखिला निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप नहीं हो पा रहा था। इस संबंध में निदेशक (संस्थान) की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार पुद्दुचेरी एवं हैदराबाद के एक-एक तथा बेंगलुरु के दो सहायक निदेशक हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत वर्ष 2016-17 से प्रारंभ होने वाले सत्र की कक्षाओं का गठन/संचालन करेंगे उनके लिए भी लक्ष्य उक्त तालिका में निर्धारित किए गए हैं।

दर्शाई गई उक्त तालिका में लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रत्येक हिंदी प्राध्यापक/सहायक निदेशक के लिए हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ एवं पारंगत की कक्षाओं में प्रति सत्र कम से कम 130 प्रशिक्षार्थी तथा दो सत्रों में प्रतिवर्ष कुल 260 प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित है।

इसी प्रकार हर सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि) को प्रत्येक सत्र में कम से कम 65 प्रशिक्षार्थी हिंदी टंकण तथा हिंदी आशुलिपि की नई कक्षा के 30 प्रशिक्षार्थी और पुरानी कक्षा के 30 प्रशिक्षार्थी अर्थात् कुल 125 प्रशिक्षार्थी प्रतिवर्ष प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित है।

3. वर्ष 2016-17 के लिए हिंदी शिक्षण योजना के पाँचों क्षेत्रों में हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ एवं पारंगत तथा हिंदी टंकण, हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण हेतु प्रति छमाही क्षेत्रवार निम्नानुसार लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं :-

क्षेत्र	हिंदी भाषा, हिंदी टंकण, हिंदी आशुलिपि के लिए प्रति छमाही निर्धारित लक्ष्य		
	हिंदी भाषा पूर्णकालिक + अंशकालिक	हिंदी टंकण पूर्णकालिक + अंशकालिक	हिंदी आशुलिपि पूर्णकालिक + अंशकालिक
मध्योत्तर	1170	665	270
दक्षिण	5980	390	180
पूर्व	3810	190	60
पश्चिम	2990	275	90
पूर्वोत्तर	800	85	30
योग	14750	1605	630

4. उपर्युक्त लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए यह सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि सभी कक्षाओं में दाखिला लक्ष्यों के अनुरूप हो। कक्षाओं के गठन के समय इस बात का भी ध्यान रखना आवश्यक होगा कि निर्धारित प्रतिमानों के अनुसार कक्षाओं का गठन किया जाए। जिन प्रशिक्षण केंद्रों पर कक्षाओं का नामांकन कम हुआ है, उन कक्षाओं में नामांकन बढ़ाने के लिए सघन प्रयास किए जाएं।

प्रयास करने पर भी यदि नामांकन में वृद्धि न हो पाई हो या होने की संभावना न हो तो ऐसे केंद्रों के संबंध में रिपोर्ट भेजते समय उप निदेशक अपना विश्लेषणात्मक अभिमत भी भेजें कि किन कारणों से इन केंद्रों में नामांकन कम हुआ। ऐसे पूर्णकालिक केंद्रों के बदले अंशकालिक केंद्र खोलने की संभावनाओं पर विचार किया जाए। वर्ष 2016-17 के दोनों सत्रों की उपलब्धि की समीक्षा भी की जाए। अगर लक्ष्यों की पूर्ण प्राप्ति नहीं हो पाई है तो उसके कारण ज्ञात कर विस्तृत रिपोर्ट इस कार्यालय को भेजी जाए और भविष्य में लक्ष्यों की प्राप्ति के पूर्ण प्रयास किए जाएं। यदि प्रशिक्षण के लिए शेष अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त नहीं है तो उस प्रशिक्षण केंद्र को अंशकालिक प्रशिक्षण केंद्र में यथाशीघ्र परिवर्तित करने तथा प्राध्यापक को अन्यत्र स्थानांतरण करने के लिए, जहाँ पर प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त कार्य हो, समुचित प्रस्ताव भेजे जाएं। इसी तरह की समीक्षा हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण केंद्रों के लिए भी अत्यावश्यक है।

5. उल्लेखनीय है कि निर्धारित लक्ष्य न्यूनतम है। अतः कृपया यह सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि केवल न्यूनतम लक्ष्यों की ही प्राप्ति न की जाए अपितु निर्धारित न्यूनतम लक्ष्य से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों को कक्षाओं में प्रवेश देकर प्रशिक्षण दिया जाए।

6. आपके क्षेत्र में जो पूर्णकालिक या अंशकालिक केंद्र बंद पड़े हैं, उन्हें पुनः चालू करने की संभावनाओं का पता लगाकर यदि संभव हो तो उन्हें पुनः चालू करने की कार्रवाई की जाए। प्रशिक्षण कार्य में गति लाने के लिए उप निदेशक स्वयं समय-समय पर प्रशिक्षण केंद्रों का निरीक्षण करें और प्राध्यापकों की समस्याओं का समाधान भी निकालें। कक्षाओं का आबंटन इस प्रकार किया जाए कि सभी सहायक निदेशक (भाषा)/सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि)/हिंदी प्राध्यापकों की क्षमताओं का पूर्ण उपयोग हो सके।

7. सत्र के प्रारंभ में संपर्क अधिकारियों और विभागाध्यक्षों की बैठक बुलाना तथा लगातार उनसे संपर्क बनाए रखना कक्षा के गठन कार्य में बहुत उपयोगी होगा। अतः इस दिशा में भी कार्रवाई की जाए।

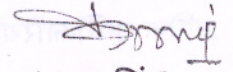
8. अंशकालिक प्रशिक्षण केंद्रों का समय-समय पर निरीक्षण किया जाए तथा वहाँ पर तैनात अनुदेशकों का मार्गदर्शन भी किया जाए। ऐसे प्रशिक्षण केंद्रों का निरीक्षण कार्य अनुभवी सहायक-निदेशकों को सौंपा जाए, जो नियमित रूप से उनको यथोचित दिशा-निर्देश दे सकें।

9. कृपया इस बात के भी विशेष प्रयास किए जाएं कि जहाँ पर पूर्णकालिक प्रशिक्षण केंद्र खोलना संभव न हो वहाँ आवश्यकतानुसार अंशकालिक प्रशिक्षण केंद्र खोलने की कार्रवाई की जाए।

अनुरोध है कि प्रत्येक सत्र में कक्षाओं के गठन के बाद अपने-अपने क्षेत्रों के सभी पूर्णकालिक/अंशकालिक प्रशिक्षण केंद्रों की नामांकन स्थिति केंद्रवार सहायक निदेशक (भाषा)/सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि)/हिंदी प्राध्यापक/अंशकालिक प्राध्यापक/अनुदेशकवार प्रथम सत्र की रिपोर्ट दिनांक 10.09.2016 तक तथा द्वितीय सत्र की रिपोर्ट 10.03.2017 तक अवश्य भेजने का कष्ट करें। साथ ही, प्रत्येक माह की समाप्ति के बाद एक सप्ताह के भीतर मासिक प्रगति रिपोर्ट मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित करें। जिन कक्षाओं में कम नामांकन हुआ हो, उन कक्षाओं को अन्य दूसरी कक्षाओं में मिलाने के अनुदेश दें और ऐसे प्रभावी कदम उठाए जाएं जिससे कि कक्षाओं में नामांकन लक्ष्यों के अनुरूप हो सके। साथ ही, सभी उप निदेशक अपने-अपने क्षेत्र से संबंधित मासिक प्रगति रिपोर्ट तथा अर्ध वार्षिक प्रगति रिपोर्ट यथासमय मुख्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

यह पत्र निदेशक (संस्थान) के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

भवदीय



(करन सिंह) 27.10.15

सहायक निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित:-

1. प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली।
2. उप निदेशक (टंकण/आशुलिपि) हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली।
3. उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली।
4. सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि), अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली।
5. सहायक निदेशक (भाषा-I एवं II), अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली।